

मांग संख्या 10  
मुख्यशीर्ष 2406

**मद क्रमांक 1**

तेन्दूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना अंतर्गत हितग्राहियों को भुगतान हेतु ₹1576.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 15,76,00,000 का प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 2**

प्रधानमंत्री मुख्य संरक्षक (वन्यप्राणी) कार्यालय की स्थापना योजनान्तर्गत डिक्रीधन भुगतान हेतु राशि ₹68,870/- आकस्मिकता निधि से अग्रिम स्वीकृत किया गया है।

अतः आकस्मिकता निधि से लिए गए अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु ₹68,870/- अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 3 से 4**

छत्तीसगढ़ प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि से व्यय योजनान्तर्गत ₹30000.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹3,00,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।